न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 378/2022
आरसीएमएस नं. 2022/378

रामदयाल पुत्र श्री हजारीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
—— अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति भागवंती पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हइनुमानगढ़।
2. जितेन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मदन मुरारी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
——रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.10.2022
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर, हनुमानगढ़
अनवान ''श्रीमति भागवंती आदि बनाम रामदयाल आदि प्र. सं. 336/2013
श्री राजेश दीपरराय अधिवक्ता अपीलांट
श्री प्रधुमन सिंह परमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट 1, 2, 4
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं 3

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 02.01.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''श्रीमति भागवंती आदि बनाम रामदयाल आदि'' प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–3 की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के अधीनस्थ चक नम्बर 7 जे.आर.के. के खाता संख्या 61/74 में पत्थर नम्बर 90/259 (56) किला नम्बर 18, 23, 24 तादादी 0.759 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थी के उक्त भूमि के चिपते अप्रार्थी संख्या–1 की इसी चक के खाता संख्या 81/67 में पत्थर नम्बर 90/259 के किला नम्बर 16, 17, 25 तादादी 0.759 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस चक 7 जे.आर.के. के पत्थर नम्बर 90/25 (56) के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जो मौका पर चालू है। प्रार्थीगण की भूमि पत्थर नम्बर 90/259 (56) के किला नम्बर 18, 23, 24 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या–1 की भूमि पत्थर नम्बर 90/259 (56) के किला नम्बर 16, 17, 25 में से किला नम्बर 25 में पूर्व से पश्चिम में अपनी भूमि में आते जाते हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि में इसी रास्ता से आते जाते हैं तथा अपने कृषि यंत्र इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इसी रास्ते से ले जाते हैं। अब अप्रार्थी संख्या–1 के मन में दुर्भावना आ गई है एवं वे प्रश्नगत रास्ता को जो अरसा कदीम से चल रहा था, को बन्द कर दिया है जो प्रार्थीगण द्वारा चाहे जाने वाले रास्ता को जोड़ता है। प्रार्थीगण रास्ता में आई भूमि के बदले भूमि व डी.एल.सी. की दुगुनी राशि अदा करने को तैयार हैं। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा उक्त रास्ता को बन्द कर दिये जाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक मानसिक वेदना व अपूर्णीय क्षति हो रही है इस कारण प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या–1 की भूमि पत्थर नम्बर 90/259 (56) के किला नम्बर 25 में पूर्व से पश्चिम रास्ता फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा तहसील से रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या–1 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय न्यायालय प्रश्नगत भूमि को लेकर राजस्व वाद शीर्षक ''रामदयाल बनाम ख्यालीराम आदि'' विचाराधीन है तथा प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में अप्रार्थी संख्या–1 की पीठ पीछे प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में अच्छी मन्दी के लिहाज से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाई है तथा यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ना तो कभी चला है व ना ही अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा बन्द किया गया है तथा ना ही प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या–1 की भूमि में से आवागमन करते आये। अप्रार्थी संख्या–1 ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता को बन्द किया गया है व ना ही इस रास्ता से प्रार्थीगण का आवागमन रहा है। प्रार्थीगण पत्थर नम्बर 90/260 में वर्णित भूमि के लिये पत्थर नम्बर 91/261 के किला नम्बर 1 ताा 5 में उत्तरी ओर पूर्व से पश्चिम रास्ता उपलब्ध है तथा प्रार्थीगण वहीं से रास्ता की मांग कर सकते हैं तथा इसके अलावा प्रार्थीगण इस न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र में प्रश्नगत रास्ता की मांग कर सकते हैं तथा अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–प0 स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट ने अपने मूल प्रार्थना पत्र में पत्थर नम्बर 90/259 किला नम्बर 18, 23, 24 का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा है जबकि रेस्पोडेंट की भूमि 90/260 के किला नम्बर 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 कृषि भूमि ओर है तथा उपरोक्त कृषि भूमि के लिये रेस्पोडेंट को रास्ता है तथा उपरोक्त भूमि के चिपते ही पत्थर नम्बर 90/259 के किला नम्बर 18, 23, 24 है इसलिए रेस्पोडेंट ने पत्थर नम्बर 90/260 में वर्णित अपनी कृषि भूमि का उल्लेख नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई गई है, वह एकपक्षीय है। अपीलांट को मौका निरीक्षण के समय कोई सूचना नहीं दी गई। रेस्पोडेंट के नाम दर्ज कृषि भूमि व अपीलांट तथा उनके भाईयों के नाम दर्ज कृषि भूमि के विभाजन के सम्बंध में विवाद चल रहे हैं। रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ता में आई भूमि के बदले में चिपते कृषि भूमि देने के कथन किये हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकृति के बावजूद डीएलसी की दुगुनी राशि मुआवजा के रूप में देने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

समक्ष अपीलांट ने तहसीलदार की रिपोर्ट के सम्बंध में आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया था अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आपत्ति प्रार्थना पत्र यह विवेचना करते हुए कि प्रकरण के अंतिम निस्तारण के समय निर्णय दिया जायेगा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम निर्णय के समय इसका कोई विवेचन आक्षेपित आदेश में नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त फरमाया जावे। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2016–2017 सप्लीमेंटरी पेज 597, डीएनजे 2022 (1) रेवन्यू पेज 638, डीएनजे 2021 (1) रेवन्यू पेज 593, आरआरटी 2018–2019 सप्लीमेंटरी पेज 342, आरआरटी 2016 (2) पेज 1281, डीएनजे 2022 (1) पेज 1595 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट के पास प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा पत्थर नम्बर 90/259 में व पत्थर नम्बर 90/260 में अपने नाम दर्ज भूमि के लिए रास्ता की मांग की है। तहसीलदार की रिपोर्ट के सम्बंध में अपीलांट ने जो आपत्ति पेश की थी वह खारिज हो चुकी है। अपीलांट ने सिर्फ देरीना करने की गर्ज से उक्त अपील मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत की है अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेंट की कृषि भूमि में आवागमन हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध हो, ऐसा तथ्य बताने में अपीलांट असमर्थ रहा है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट में प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का स्पष्ट उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में रास्ता में आई भूमि के बदले में दुगुनी राशि देने का आदेश पारित किया है जबकि रेस्पोडेंट के मूल प्रार्थना पत्र में भूमि के बदले में कृषि भूमि देने को तैयार होने के स्पष्ट कथन है। उक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इस हद तक संशोधित किया जाना आवश्यक है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहाय कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 28.10.2022 में आंशिक संशोन करते हुए चक 7 जेआरके के पत्थर नम्बर 90/259 (56) किला नम्बर 25 में दक्षिणी सिरे पर पूर्व से पश्चिम एक गट्ठा अर्थात 0.01265 हैक्टेयर स्वीकृत किये गये रास्ता की एवज में अपीलांट को रेस्पोडेंट की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 90/259 के किला नम्बर 18 में (किला नम्बर 17 के चिपते) उत्तर से दक्षिण एक गट्ठा अर्थात 0.01265 हैक्टेयर भूमि दी जाती है तथा इसी कदर राजस्व अभिलेख में उपरोक्त भूमि 0.01265 हैक्टेयर अपीलांट के नाम दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायलाय का शेष अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 2.01.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/1/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़